रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 8, 2016/श्रावण 17, 1938
No. 547] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 8, 2016/SRAVANA 17, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2016

सां. का. नि. 771(अ).—केंद्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) नियम 2 के, उप नियम (1) में खण्ड (य च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(य छ) "रजिस्ट्री – सह – सदस्यता प्रमाणपत्र" से निर्यातोन्मुख यूनिटों और विशेष आर्थिक जोन को निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जारी किया गया सदस्यता प्रमाण पत्र अभिप्रेत है ।"।

3. मूल नियम में, नियम 22 के, उप–नियम (1) में खण्ड (iv) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

(v) “यूनिट या विकासकर्ता जिसके अंतर्गत सह - विकासकर्ता भी है छूट, वापसी और रियायतें प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रीकरण – सह – सदस्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगें ।”।

[फा. सं. सी-2/2/2016- एसईजेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 54(अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 627(अ), तारीख 6 अगस्त, 2015 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2016

G.S.R. 771(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -

1. Short title and commencement. -

(1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006 (herein after referred to as the principal rules), in rule 2, in sub rule (1) after clause (zf), the following clause shall be inserted, namely: -

“(zg) “Registration-cum-Membership Certificate” means the membership certificate issued by Export Promotion Council for Export Oriented Units and Special Economic Zones.”.

3. In the principal rules, in rule 22, in sub-rule (1), after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: -

“(v) The Unit or the developer including co-developer shall obtain a Registration-cum-Membership Certificate for availing exemptions, drawbacks and concessions.”.

[F. No. C-2/2/2016-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and last amended vide G.S.R 627(E), dated the 6th August, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.